

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2021

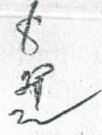
जयपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2021

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(2)(1)/नपा/रानिआ/2021/2931 दिनांक 06.07.2021 एवं एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1)/नपा/रानिआ/2021/3074 दिनांक 12.07.2021 द्वारा राज्य के 09 जिलों की 18 नगरीय निकायों (सूची संलग्न) के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के नगरीय निकायों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 26.07.2021 (सोमवार) को संलग्न सूची के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से



(ब्रजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/ 3321

दिनांक : 22.07.21

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)(नगरपालिका) अजमेर, भरतपुर, चूरु, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव